



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269703
CG-DL-E-31012026-269703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 420]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 448(अ).—जबकि मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत पता S 2904, 29वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिगेड गेटवे कैंपस, 26/1, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर, बैंगलोर – 560055 में है, ने ट्रांसमिशन योजना “भुज, गुजरात में मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड के 150 MW सोलर पावर प्लांट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 25-17/8/2025-PG दिनांक 03.10.2025 के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत ट्रांसमिशन योजना “भुज, गुजरात में मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड के 150 MW सोलर पावर प्लांट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हेतु पूर्व स्वीकृति प्रदान की थी।

मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों चंचल (हिंदी) दिनांक 04.02.2025, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 04.02.2025, गुजरात समाचार (गुजराती) दिनांक 04.02.2025 एवं भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 19.04.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन

मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन देने करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। तत्पश्चात, मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 19.12.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई है कि समाचार पत्र/भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “भुज, गुजरात में मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड के 150 MW सोलर पावर प्लांट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” ट्रांसमिशन योजना के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं:

1. अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड जेनरेशन स्विचयार्ड (गांव - जुरा, तालुका - भुज, जिला - कच्छ, गुजरात में स्थित) - भुज पूलिंग सबस्टेशन 220 kV S/c पारेषण लाइन (D/c टावरों पर) तालचेर-III- पांडियाबिली (पावरग्रिड) 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत कवर की गई ट्रांसमिशन लाइनें गुजरात राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेंगी:

गाँव का नाम	तालुका	जिला
जुरा, निरोणा, पालनपुर	भुज	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निवंधन और शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभों या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का संचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर फोर प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों द्वारा, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल)

संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/8/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 448(E).— Whereas M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited, the applicant with its Registered Office at S 2904, 29th floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar, Bangalore – 560055, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited for its 150 MW Solar Power Plant in Bhuj, Gujarat”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. No. 25-17/8/2025-PG dated 03.10.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited for its 150 MW Solar Power Plant in Bhuj, Gujarat”.

M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers Chanchal (Hindi) dated 04.02.2025, The Indian Express (English) dated 04.02.2025, Gujarat Samachar (Gujarati) dated 04.02.2025 and in Weekly Gazette of India dated 19.04.2025 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited has submitted an affidavit dated 19.12.2025 declaring that no objection, observation/representation was received within two months from the date of publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “transmission system for providing connectivity to M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited for its 150 MW Solar Power Plant in Bhuj, Gujarat”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Ayana Renewable Power Four Private Limited Generation switchyard (located in Village - Zura, Taluka - Bhuj, District - Kutch, Gujarat) - Bhuj PS 220 kV S/c line (on D/c towers)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of State of Gujarat:

Village	Taluka	District
Zura, Nirona, Palanpur	Bhuj	Kutch

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Ayana Renewable Power Four Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court

[F. No. 25-16/8/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)